GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLY & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELH

No. F.2 (15)/DLA/F&S/P&C/2019/ 1198-1199 **Dated.** 02.12.2019

To,

The Dy.Secretary,(Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi- 110054.

Sub:- Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No.132 asked by Sh.Mahender Yadav, MLA due for answer on 03.12.2019.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question duly authenticated by the Competent Authority.

Encl:- As above.

Yours faithfully

2.12.19
(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

No. F.2 (15)/DLA/F&S/P&C/2019/ **Dated.**

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र:दिल्ली सरकार,
खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग,
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 132
दिनांक :– 03/12/2019
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री महेन्द्र यादव

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
क) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सर्किल–31 के तहत कुल कितने राशन कार्ड आवेदन लंबित हैं;	वर्तमान में सर्किल–31 के तहत् 2562 आवेदन लंबित हैं ।
ख) इन आवेदन पत्रों के लंबित होने के क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण दें;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य को 72,77,995 राशन कार्ड लाभार्थी बनाने की सीमा निर्धारित की थी । वर्तमान में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राशन कार्ड बनाने की प्रकिया सतत् है ।
ग) क्या यह सत्य है कि इन लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के लिए सरकार कदम उठा रही है;	जी हां ।
घ) यदि हाँ, तो इनका विवरण क्या है; और	दिल्ली में राशन कार्ड ज़ारी करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण पूर्ण रूप से कम्प्यूटरराईज्ड है । 1. राशन कार्ड ज़ारी करने के लिए राशन कार्ड मैनेज़मेंट सिस्टम एन.आई.सी. द्वारा बनाया गया है। 2. दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई डोर स्टेप डिलीवरी सेवा द्वारा प्रार्थी मोबाइल सहायकों द्वारा प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाइन आवेदन कर सकता है तथा प्रार्थी अपना राशन–कार्ड एन.एफ.एस पोर्टल से प्राप्त कर सकता है । 3. विभाग द्वारा लागू पहले आओ पहले पाओ की योजना के अंतर्गत इस प्रकिया को और भी सरल बनाया गया है । 4. डी जी आर ओ मामलों को प्राथमिकता दी जाती है । विभाग द्वारा समय समय पर मंडल कार्यालयों में लंबित आवेदनों की समीक्षा की जाती है और शीघ्र निष्पादन के लिए आदेश ज़ारी किये जातें हैं ।
ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?	लागू नहीं ।

2.12.2019

Asstt. Commissioner
Department of Food Supplies & Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002